सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश
1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003
फोन-0755-2556916 फैक्स-2552665
ईमेल- **dpswbpl@nic.in**

क्रं./सा.सहा./2018/ 745 भोपाल, दिनांक 16/05/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त आयुक्त नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक/नगर पंचायत

मध्यप्रदेश।

विषय :- समस्त पेंशन हितग्राहियों के आधार नम्बर की सीडिंग पेंशन पोर्टल पर सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भित पत्र :- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रं. DO # J-11011/04/2015-NSAP

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एन.एस.ए.पी. योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना के समस्त पेंशन हितग्राहियों के आधार नम्बर की सीडिंग 30 जून 2018 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

2. पेंशन पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने का कष्ट करें, वर्तमान में 37.80 लाख पेंशन हितग्राहियों में से 36.34 लाख पेंशन हितग्राहियों के आधार नम्बर पोर्टल पर उपलब्ध है अर्थात् 1.46 लाख पेंशन हितग्राहियों के आधार नम्बर पेंशन पोर्टल पर दर्ज नहीं है जिसके मुख्यत: निम्न कारण हो सकते है :-

2.1 संभवत: हितग्राही वर्तमान में संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड में निवासरत नहीं हों।

2.2 आधार में पंजीयन नहीं हो सका हों।

3. यदि किसी पेंशन हितग्राही के पास आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है उक्त स्थिति में 30 जून से पूर्व हितग्राहियों का आधार हेतु पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। 30 जून 2018 तक पेंशन हितग्राहियों के आधार नम्बर की फीडिंग पेंशन पोर्टल पर सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें :-

3.1 पेंशन पोर्टल से ऐसे पेंशन हितग्राहियों की सूची प्राप्त करें, जिनके आधार नम्बर पेंशन पोर्टल पर दर्ज नहीं है।

3.2 ग्राम पंचायत स्तर पर पेंशन हितग्राहियों से समन्वय कर हितग्राही का आधार नम्बर प्राप्त करने की सहमति लें।

3.3 यदि किसी हितग्राही के पास आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है तो ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर कैम्प लगाकर आधार हेतु पंजीयन की कार्यवाही की जाये। कैम्प हेतु जिला प्रशासन द्वारा तिथि निर्धारित की जाये व आधार पंजीयन हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाये।

3.4 हितग्राही जो कैम्प में आने में सक्षम नहीं है उन हितग्राहियों का आधार पंजीयन करने हेतु उनके निवास पर जाकर आधार पंजीयन की कार्यवाही की जायें। उक्त कार्य में जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर से समन्वय करें।

3.5 डीबीटी योजना अंतर्गत आधार बेस्ड पेमेंट (Aadhaar based Payment) किया जाना है, जिसके अंतर्गत आधार नम्बर से जो खाता नम्बर लिंक है उस खातें में राशि का भुगतान होता है। अत: यह सुनिश्चित करें कि आधार नम्बर हितग्राही का ही हों । गलत आधार नम्बर दर्ज होने पर यह संभव है कि राशि का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को हो जायेंगा, अत: यह सुनिश्चित करें कि आधार नम्बर संबंधित पेंशन हितग्राही का ही हों।

3.6 हितग्राही का आधार नम्बर बैंक खातें से लिंक हो यह सुनिश्चित किया जायें।

3.7 आधार की गोपनीयता को सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्तानुसार 30 जून 2018 से पूर्व समस्त पेंशन हितग्राहियों के आधार नम्बर उनकी सहमति प्राप्त कर पेंशन पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

(अशोक शाह)
आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

पृ.क्र./सा.सहा./2018/ 746 भोपाल, दिनांक 16 /05/2018

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
2. समस्त संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.।
3. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.
   की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण